संख्या–82 / सत्तर–7–2020–बी0एड0(09) / 2014टी0सी

AD-10
22/05

DR-56
21.5.2020

कुल सचिव का कार्यालय
लखनऊ विश्वविद्यालय
संख्या 193
दिनांक 21/05/20

प्रेषक,

अब्दुल समद,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कुलसचिव / राज्य नोडल अधिकारी,
लखनऊ विश्वविद्यालय,
लखनऊ।

उच्च शिक्षा अनुभाग–7 लखनऊः दिनॉकः 23 अप्रैल, 2020

विषयः– संयुक्त प्रवेश परीक्षा बी0एड0 2020 में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिये आरक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक संख्या–आर / 432 / 2020 एवं पत्रांक संख्या–आर / 433 / 2020 दिनांक 12–02–2020 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के आरक्षण हेतु दिशा–निर्देश प्रदान किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2– इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कार्मिक विभाग द्वारा निर्गत कार्यालय–ज्ञाप संख्या–1 / 2019 / 4 / 1 / 2002 / का–2 / 19टी.सी.–II दिनांक 18–02–2019 में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था दी गयी है, जो दिनांक 01–02–2019 से प्रभावी है। उक्त कार्यालय ज्ञाप दिनांक 18–02–2019 के प्रस्तर–6(2) में यह व्यवस्था दी गयी है कि "प्रत्येक शैक्षणिक संस्थान अपनी प्रत्येक शाखा में निर्धारित वार्षिक सीटों की संख्या में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए अधिकतम 10 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था के उपरान्त सक्षम प्राधिकारी की पूर्वानुमति से सीटों की संख्या में वृद्धि करेंगे जो शैक्षणिक सत्र के तुरन्त बाद से पहले प्रत्येक श्रेणी में उपलब्ध ऐसी सीटों की संख्या से कम न हो"।

उक्तानुसार स्वीकृत सीट संख्या–50 के सापेक्ष अभ्यर्थियों के लिए 05 अतिरिक्त सीट वृद्धि करने की अनुमति इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि उक्त सीटों की वृद्धि से अन्य श्रेणियों को अनुमन्य आरक्षण प्रतिशत में कमी न होने पाये।

भवदीय,

(अब्दुल समद)
विशेष सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1–निदेशक, उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2–निजी सचिव, प्रमुख सचिव महोदया, उच्च शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।

DR (Affiliation) / DR (Admission) /

आज्ञा से,

Coordination (Admission) / Co-ordinator Be d20-22

(कैलाश नाथ राम)
अनु सचिव।

Registrar
27/4/2020

अध्यक्ष (प्रवेश)

21.5.2020